

Office 2024/01/24/17328
17328
2-10-24

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संख्या-एम0ई0-3/2024/

लखनऊ : दिनांक 20 फरवरी 2024

नीट एस0एस0 2020 (डी0एम0/एम0सी0एच0) बैच के अभ्यर्थियों को अनिवार्य शासकीय सेवा बाण्ड के अन्तर्गत सहायक आचार्य के पद पर सेनायोजित किये जाने हेतु ऑनलाइन काउंसिलिंग की समय-सारिणी एवं महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश

शासनादेश संख्या-950/71-2-82/2017 दिनांक 07 मार्च 2018 (यथासंशोधित) एवं शासनादेश संख्या-1/475904/2024 दिनांक 18 जनवरी 2024 में निहित निर्देशों के क्रम में नीट एस0एस0 2020 (डी0एम0/एम0सी0एच0) बैच की अन्तिम वर्ष की परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को उनकी ऑल इण्डिया रैंक के आधार पर सेनायोजित किये जाने हेतु ऑनलाइन काउंसिलिंग की समय-सारणी निम्नवत् है:-

क्र.सं.	विवरण	तिथि	कुल दिवस
1	ऑनलाइन पंजीकरण की तिथि	दिनांक 22 फरवरी 2024 (पूर्वाह्न 11:00 बजे) से दिनांक 26 फरवरी 2024 (पूर्वाह्न 11:00 बजे) तक	04 दिवस
2	ऑन लाइन अभिलेखों के सत्यापन की तिथि	दिनांक 22 फरवरी 2024 (पूर्वाह्न 11:00 बजे) से दिनांक 26 फरवरी 2024 (सायं 5:00 बजे) तक	05 दिवस
3	पंजीकृत अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट का प्रकाशन	दिनांक 26 फरवरी 2024	01 दिवस
4	ऑनलाइन च्याइस फिलिंग की तिथि	दिनांक 27 फरवरी 2024 (पूर्वाह्न 11:00 बजे) से दिनांक 28 फरवरी 2024 (सायं 5:00 बजे) तक	02 दिवस
6	सीट आवंटन का परिणाम घोषित करने की तिथि	29 फरवरी 2024	01 दिवस
7	आवंटन पत्र डाउनलोड करने तथा आवंटित कालेज में योगदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि	दिनांक 01 मार्च 2024 से दिनांक 07 मार्च 2024	07 दिवस

काउंसिलिंग हेतु महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश निम्नलिखित हैं:-

- ❖ ऑनलाइन काउंसिलिंग हेतु सर्वप्रथम अभ्यर्थियों को वेबसाइट www.dgmeonlineposting.upsdc.gov.in पर log-in करते हुए अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
- ❖ नीट एस0एस0 2020 बैच के समस्त अर्ह अभ्यर्थियों को पंजीकरण कराते हुए काउंसिलिंग में प्रतिभाग करना अनिवार्य है तथा उन्हें अपनी प्राथमिकता (Priority) के अनुसार समस्त विकल्प (Choice) भरते हुए Choice Lock करना अनिवार्य है।
- ❖ शासनादेश संख्या-1/475904/2024 दिनांक 18 जनवरी 2024 में निहित निर्देशों के क्रम में अभ्यर्थियों को प्रदेश के ऐसे राजकीय मेडिकल कालेज/संस्थान/चिकित्सा विश्वविद्यालय, जहाँ पर सुपर स्पेशियलिटी विभाग/पी0एम0एस0एस0वाई0 ब्लॉक में संचालित सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक संचालित हैं, में रिक्त सहायक आचार्य के पदों पर

सम्बन्धित मेडिकल कालेजों/संस्थानों/ चिकित्सा विश्वविद्यालयों द्वारा उपलब्ध करायी गयी श्रेणीवार रिक्त सीटों के सापेक्ष आवंटन प्रदान किया जायेगा।

- ❖ राजकीय मेडिकल कालेज/संस्थान/चिकित्सा विश्वविद्यालय के सुपर स्पेशियलिटी विभागों में सहायक आचार्य का पद रिक्त न होने की दशा में सम्बन्धित अभ्यर्थियों को कॉमन पूल कोटा के माध्यम से अन्य सुपर स्पेशियलिटी विभागों में रिक्त पदों के सापेक्ष सहायक आचार्य के पद पर सेवायोजित किया जायेगा।
- ❖ प्रदेश के राजकीय मेडिकल कालेजों/संस्थानों/चिकित्सा विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत डी0एम0/एम0सी0एच0 पाठ्यक्रम के छात्र, जो सीनियर रेजिडेंट के रूप में कार्यरत होते हैं की वार्षिक आय रू0 8.00 लाख से अधिक होती है, जो आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी (E.W.S.) से संबंधित शासनादेश द्वारा निर्धारित अईता की परिधि में नहीं आते हैं। अतः डी0एम0/एम0सी0एच0 पाठ्यक्रम में सहायक आचार्य के ई0डब्लूएस0 श्रेणी हेतु आरक्षित सीटों को अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों से भरा जायेगा।
- ❖ आरक्षण का लाभ केवल उत्तर प्रदेश राज्य के आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को ही देय होगा। उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।
- ❖ आरक्षण से सम्बन्धित सभी प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप पर ही मान्य होंगे। भारत सरकार हेतु निर्धारित प्रारूप पर आरक्षण प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।
- ❖ अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी का प्रमाण पत्र दिनांक 01.4.2023 अथवा उसके बाद का ही मान्य होगा।
- ❖ आरक्षण का लाभ लेने हेतु आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र पंजीकरण के समय अपलोड करना अनिवार्य है।
- ❖ आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र ऑनलाईन सत्यापन के समय यदि सुसंगत नहीं पाया गया अथवा निर्धारित प्रारूप पर न होने की दशा में सम्बन्धित अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ प्रदान नहीं किया जायेगा तथा ऐसे अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणी के अन्तर्गत सीट आवंटन की कार्यवाही की जायेगी।
- ❖ ऑनलाईन काउंसिलिंग में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों की च्वाइस फिलिंग निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात Auto Lock कर दी जायेगी।
- ❖ काउंसिलिंग के समय अथवा काउंसिलिंग के पश्चात यदि यह पाया जाता है कि किसी अभ्यर्थी द्वारा भ्रामक/कूटरचित अभिलेखों के आधार पर आवंटन प्राप्त कर लिया गया है, तो उसका आवंटन निरस्त करते हुए उसके विरुद्ध आई0पी0सी0 की सुसंगत धाराओं में केस दर्ज कराते हुए अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

- ❖ शासनादेश संख्या-1/204130/2022 दिनांक 23 अगस्त 2022 में निहित निर्देशों के क्रम में आरक्षित श्रेणी का अभ्यर्थी न होने की दशा में आरक्षित श्रेणी की यदि कोई सीट रिक्त रह जाती है, तो रिक्त सीटों को नीट पी0जी0 2023 के नीति निर्धारण विषयक शासनादेश दिनांक 13.7.2023 में निहित निर्देशों की भांति ही निम्नांकित तालिका के अनुसार आमेलित करते हुए आवंटन प्रक्रिया सम्पन्न की जायेगी:-

CONVERSION ALGORITHM

S.No.	Conversion Category	Category converted to
1	ST	SC
2	SC	UR
3	OBC	UR

- ❖ Merger के लिए उपलब्ध सीटों को Virtual Vacancy के रूप में प्रदर्शित किया जायेगा।
- ❖ अद्यतन सूचनाओं हेतु विभागीय वेबसाइट www.dgme.up.gov.in तथा dgmeonlineposting.upsdc.gov.in का निरन्तर अवलोकन करते रहें।

Help Line Number: 8189011700

कृते महानिदेशक।

संख्या: एम0ई0-3/2024/429

तददिनांक/

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-चार।
2. समस्त सदस्य, काउंसिलिंग बोर्ड।
3. कुलसचिव, के0जी0एम0यू0/यू0पी0यू0एम0एस0, सैफई/निदेशक, एस0जी0पी0जी0आई लखनऊ/डा0 मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ/पी0जी0आई0सी0एच0 नोएडा/सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान, लखनऊ/ प्रधानाचार्य राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर, आगरा, प्रयागराज, मेरठ, झाँसी तथा गोरखपुर को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना को नोटिस बोर्ड एवं कालेज की वेबसाइट पर प्रदर्शित कराने का कष्ट करे।
4. निदेशक, एम्स, रायबरेली को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना को नोटिस बोर्ड एवं संस्था की वेबसाइट पर प्रदर्शित कराने का कष्ट करे।
5. नोडल अधिकारी (अभिलेखों का सत्यापन), के0जी0एम0यू0/यू0पी0यू0एम0एस0, सैफई तथा डा0 मनोहर लोहिया, आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ।
6. निदेशक, एन0आई0सी0.योजना भवन, लखनऊ/यू0पी0एस0डी0सी0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को वेबसाइट पर dgmeonlineposting.upsdc.gov.in प्रदर्शित कराने का कष्ट करें।
7. शिविर सहायक, महानिदेशक कैम्प, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, लखनऊ, उ0प्र0।

कृते महानिदेशक।